Established in 2008
"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

बीकानेर राज्य के आधुनिकीकरण में महाराजा गंगा सिंह का योगदान का ऐतिहासिक अध्ययन

शोधार्थी
बजरंग लाल गाडगिल

एनरोलमेन्ट नं.
JVR/II/21/9591

शोध निर्देशक
डॉ. ललित पाण्डे
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(इतिहास)
शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

Estd. in 2008

''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, भारत

NAAC Accredited | UGC Approved | Recognized by Statutory Councils

बीकानेर राज्य के आधुनिकीकरण में महाराजा गंगा सिंह का योगदान का ऐतिहासिक अध्ययन

शोधार्थी

बजरंग लाल गाडगिल

एनरोलमेन्ट नं.

JVR/II/21/9591

शोध निर्देशक

डॉ. ललित पाण्डे

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

शिक्षा एवं कार्यप्रणाली संकाय

पीएच.डी.

(इतिहास)

शोध उपाधि पंजीयन के लिए प्रस्तुत

सार-संक्षेप (SYNOPSIS)

प्रस्तावना

बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने 1488 में राती घाटी नामक स्थान पर एक गढ़ की नींव रखकर अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया।[1] महाराजा गंगा सिंह के सिंहासनरोहण से पहले बीकानेर राज्य देश का सबसे सूखा, गर्म, ऊसर और अनुपजाऊ तथा मरुस्थल क्षेत्र था वर्षा की कमी, राज्य में किसी प्राकृतिक नदी का न होना, बार–बार पड़ने वाले अकालो का दर्द भोगना राज्य को बुरी स्थिति में ला देता था। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 13 अक्टूबर 1880 को हुआ, राज्यारोहण 31 अगस्त 1887 को हुआ और पूर्ण शासनाधिकार 16 दिसंबर 1998 ईस्वी को मिले।[2]

महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य में पानी की समस्या और कृषि को बढ़ाने के लिए सतलज नदी से एक नहर लाने का विचार सरकार को लिखा। जिस पर 4 सितंबर 1920 को एक इकरारनामा हुआ। 26 अक्टूबर 1927 को यह नहर बनकर तैयार हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय भी उपस्थित थे। इस नहर का नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगनहर रखा गया। इस कारण महाराजा गंगा सिंह को राजपुताना का भागीरथ तथा आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। गंग नहर फिरोजपुर कैंटोनमेंट के पास सतलज से निकाली और पंजाब से होती हुई खक्खा के पास बीकानेर राज्य में प्रवेश करती है राज्य में प्रवेश के बाद शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुरा, पदमपुर, रायसिंहनगर और सरूपसर के पास होती हुई अनूपगढ़ तक आती है । सीमेंट से बनी पक्की इतनी लंबी संसार में कोई दूसरी नहर नहीं थी। इस नहर के आने से बीकानेर राज्य का उत्तरी क्षेत्र उपजाऊ हुआ जिससे राज्य की आय बढ़ी। नई कृषि मंडियों का निर्माण हुआ। महाराजा गंगा सिंह ने गजनेर में एक मीठे पानी की झील खुदवाई, कोलायत झील को भी संरक्षण प्रदान किया तथा छापर व लूणकरण में स्थित खारे पानी की झीलों का उपयोग नमक उत्पादन के लिये किया जाता था।[3]

राज्य में सुनवाई के लिएचार न्यायालय थे परंतु अपील के लिये कोई न्यायालय नही था। इसलिए एक अपील कोर्ट की स्थापना की गई। 1910 में चीफ कोर्ट की स्थापना की गई तथा योग्य न्यायाधीश

---

[1] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 96

[2] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 491

[3] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 7

नियुक्त किए गए उनकी योग्यता वर्तमान न्यायाधीश के समान थी। 1922 में चीफ कोर्ट को हाईकोर्ट में परिवर्तित कर दिया गया।[4]

महाराजा गंगा सिंह बीकानेर राज्य के पहले शासक थे जिन्होंने शिक्षा में रूचि ली। 1872 तक राज्य में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं था महाराजा साहेब के स्वर्गवास के समय 141 राजकीय विद्यालय, 137 अनुदान प्राप्त विद्यालय, 191 मान्यता प्राप्त निजी और स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे।[5] राज्य द्वारा 1828—29 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में उन्होंने, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, मकतबो, पाठशालाओं, कन्या विद्यालय, हिंदी प्राइमरी विद्यालय व अन्य बहुत से विद्यालयों की स्थापना की गई। सार्दुल हाई स्कूल राज्य का सबसे पुराना हाई स्कूल था इसके अलावा चूरू, गंगानगर, सुजानगढ़, सरदारशहर आदि में भी हाई स्कूल स्थापित करवाए। डूंगर मेमोरियल कॉलेज एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में सन 1928 में बीकानेर राजधानी में प्रारंभ किया गया। 1935 में इसे डिग्री कॉलेज का रूप प्रदान किया गया तथा 1942 में एम.ए. की कक्षाएं प्रारंभ की गई। राज्य में यह बालकों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक ही कॉलेज था। विद्यार्थियों की रुचि पढ़ने की ओर हो इसलिए राज्य की ओर से छात्रवृत्ति आदि दी जाने की घोषणा की गई। स्त्री शिक्षा के लिए महारानी नोबेल गर्ल स्कूल ,लेडी एलगिन गर्ल स्कूल खोले गए तथा कठोर पर्दे के कारण कुछ बालिकाएं स्कूल न जाने के कारण शिक्षा से वंचित हो जाती थी ऐसी बालिकाओं के लिए घर जाकर पढ़ाने के लिए भ्रमणशील शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई।[6]

---

[4] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग—2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स

[5] आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास भाग—1 डॉ. रामप्रसाद व्यास

[6] एड. रिपोर्ट बीकानेर स्टेट 6 बीकानेर राज्य का इतिहास भाग—2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स. 24 व 25

बीकानेर राज्य में रेल का विस्तार महाराजा गंगा सिंह की ही देन है 1898 से पूर्व राज्य में केवल 48 मील रेलवे लाइन थी। 1902 में बीकानेर से बठिंडा रेल लाईन खोली गई। बीकानेर से हिसार रेलवे लाइन खोली गई तथा 1912 में बीकानेर से रतनगढ़ की 85 मील की लाइन खोली गई। रेलवे से यात्रियों के आवागमन में सुविधा हुई साथ ही डाक, तार व व्यापार में भी सुविधाएं हुई तथा यह राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गया।[1]

सार्वजनिक सड़कें व इमारते आदि बनाने का पहले कोई महकमा न था और न ही राज्य में पक्की सड़कें थी। इसलिए 1891 में इस कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। राजधानी से कोडमदेसर, गजनेर और कोलायतजी तक पक्की सड़कें बनवाई। इसके अलावा राज्य में कच्ची सड़के सर्वत्र विद्यमान थी।[2]

महाराजा गंगा सिंह राजस्थानी भाषा और साहित्य के पक्षधर थे। इन्होंने राजस्थानी के विद्वान इटली के निवासी टेस्टीटोरी को उन्होंने बड़ेआदर पूर्वक अपने दरबार में बुलाया तथा राजस्थानी भाषा और साहित्य पर शोध कार्य करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई। राजस्थानी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा में भी लेखन कार्य होता था। द किंग एंपरर जॉर्ज पंचम सिल्वर जुबली पुस्तकालय राजधानी में बीकानेर राज्य का एक श्रेष्ठ पुस्तकालय था प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन के लिए अनूप संस्कृत पुस्तकालय था[3]

राजधानी में 20 जुलाई 1896 को एक अस्पताल चूरू के धनी उदार दानदाता राय बहादुर सेठ भगवान दास के नाम पर रखा यह राज्य का प्रथम अस्पताल था। प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल सामान्य पुरुष व महिला अस्पताल मार्च 1937 में 1441612 रुपए की लागत से बना । सादुल मिलिट्री अस्पताल,

---

[1] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 523

[2] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 497, 498

[3] आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास भाग–1 डॉ रामप्रसाद व्यास व बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा

गंगा गोल्डन जुबली टी .बी अस्पताल, जॉर्ज पंचम मेमोरियल निशक्तजन अस्पताल आदि राज्य के प्रमुख अस्पताल थे।[4] इसके अलावा रतनगढ़, भादरा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर में जानवरों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले गए।[5] महाराजा गंगा सिंह ने स्वयं देवली छावनी में कुछ समय तक रहकर वहा कर्नल जे.डी बेली की अध्यक्षता में सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। बीकानेर राज्य में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल 1903 मेंओर 1922 में बीकानेर राज्य पुलिस अधिनियम बनाया। चीन के बक्सर युद्ध, सोमालिलेण्ड अभियान व प्रथम विश्वयुद्ध में राज्य की सेना व महाराज साहब ने स्वयं भाग लिया । वहाँ की सैन्य व्यवस्था को देखकर बीकानेर राज्य की सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किये। किसी राज्य की सेना जितनी ज्यादा मजबूत, प्रशिक्षित व अनुशासित होती है वह राज्य उतना ही सुरक्षित माना जाता है।[6]

बीकानेर राज्य में डाक व तार वितरण व्यवस्था के लिए 1908 में 29 सरकारी डाकघर व टेलीग्राफ कार्यालय थे। 1905 में बीकानेर शहर में टेलीफोन एक्सचेंज को बीकानेर शहर की मुख्य इमारतों और संस्थाओं को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया।[7]

---

[4] एड. रिपोर्ट बीकानेर स्टेट

[5] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 585

[6] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग–2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ.स 507, 508, 512

[7] एड. रिपोर्ट बीकानेर स्टेट

Jayoti Vidyapeeth Women's University
Estd. in 2008
''बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ''

महाराजा गंगा सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिये प्रधान का पद तोड़कर महकमाखास स्थापित किया। उसका कार्य 6 विभागों में वितरण कर प्रत्येक विभाग का अलग सेक्रेटरी नियुक्त किया।[1] जमीदारों के हित के लिए 1921 में जमीदारा परामर्श सभा की स्थापना की। 1921 में ही भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई जिसका चांसलर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया बीकानेर शहर में सर्वप्रथम 1896 में जन्म मृत्यु पंजीकरण शुरू हुआ। महाराजा के काल में 25 नवंबर 1906 को बिजली घर बनकर तैयार हुआ।[2]

1913 को प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई यह लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में एक निश्चित कदम था 1917 में इसका नाम लेजिसलेटिव असेंबली (व्यवस्थापिका सभा) कर दिया गया इसके सदस्यों की संख्या 45 थी।[3] बीकानेर राज्य में औद्योगिक विकास में कांच की फैक्ट्री 1927, शुगर फैक्ट्री, 1937, वूल प्रेस फैक्ट्री, कॉटन जिनिग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्री स्थापित की गई।[4] बीकानेर के सभी शासकों ने मिलकर लगभग 350 वर्षों में इतनी इमारत नही बनवाई जितनी महाराजा गंगा सिंह ने अकेले बनवाई। लालगढ़ पैलेस अपने पिता लालसिंह की स्मृति में गंगा जुबिलि आफिस व ला कोर्ट,

---

[1] राज्य का इतिहास भाग – 2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा पृ स

[2] बीकानेर राज्य का इतिहास भाग – 2 गौरी शंकर हिरानंद ओझा

[3] डॉ रामप्रसाद व्यास व बीकानेर राज्य का इतिहास भाग – 2

[4] एड .रिपोर्ट बीकानेर स्टेट

गोल्डन जुबली म्यूजियम, गंगा निवास पार्क, विक्टोरिया मेमोरियल हाल, डूंगर कॉलेज व चिड़ियाघर की स्थापनाकी गई।[5] नगर पालिका प्रशासन में सुधार हेतु म्युनिसिपेलिटी एक्ट पारित किया जुलाई 1923 में व 1925 में प्रथम बार चुनाव हुए तथा बीकानेर सहित चुरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर में भी चुनाव करवाए गए।[6]

महाराजा साहेब की गवर्नमेंट राजपत्र नोटिफिकेशन के आदेश द्वारा बीकानेर राज्य में दीवानी व फौजदारी शासन में मदद देने के लिए और अन्य मामलों में शासन के विकास करने में मदद देने के लिए देहाती रखबो, गांव या कई गांव के किसी समुदाय में जो म्युनिसिपेलिटी की हद में शामिल ना हो पंचायत स्थापित करें। पंचायतों में पंचों की संख्या 5 से कम ना होगी व 9 से ज्यादा नहीं होगी। पंचों की संख्या, चुनाव, सरपंच, कोरम, बैठने की जगह, सरपंच सभापति आदि सभी का विवरण है। उदाहरण के लिए सरपंच बनने की योग्यता मुकर्रर की गई थी जो इस प्रकार थी उम्र 25 वर्ष से कम न हो, जो गवर्नमेंट या किसी मुकामी हाकिम का मुलाजिम (सरकारी नोकर) ना हो, पिछले 5 वर्ष के अंदर किसी जुर्म में कैद की सजा न दी गई हो, पंचायत के हल्के के अंदर रहता हो।[7] महाराजा गंगा सिंह अपने युग का एक विलक्षण शासक था व आधुनिक बीकानेर का निर्माता था।[8]

[5]एड .रिपोर्ट बीकानेर स्टेट

[6] बीकानेर स्टेट राज्य का इतिहास भाग–2

[7]बीकानेर गांव व पंचायत एक्ट 1928 बीकानेर राज रियासत

[8]डॉ रामप्रसाद व्यास आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास

बीकानेर राज्य में खाने की वस्तुओं और दवाओं में मिलावट को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया।[1]

महाराजा गंगा सिंह की शासन नीति का दूसरा पक्ष उनके द्वारा दमन उत्पीड़न निर्वासन और शोषण उसकी शासन नीति के मूल मंत्र थे। सेवा समितियों, वाचनालय व राजनीतिक जनजागृति के रूप में जहां कहीं थोड़ी सी भी हलचल राज्य में दिख पड़ती उसका गला घोटना एकमात्र लक्ष्य था प्रजामंडल नाम की संस्था से तो वह वैसे ही भय खाते थे। उन्होंने अपने समय में न ऐसी कोई संस्था कायम होने दी और न किसी ऐसे व्यक्ति को सिर उठाने दिया जिस पर प्रजा मंडलली प्रवृत्तियों के प्रति रुचि लेने का संदेह हो। महाराजा साहेब के इसी रवैये के कारण बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कोलकाता में श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में की गई। 1942 में प्रजा परिषद की स्थापना कर दी गई लेकिन पांच से सात दिन के भीतर ही प्रजा परिषद गैर कानूनी ठहरा कर श्री रघुवर दयाल जी वकील को राज्य से निर्वासित कर दिया गया महाराजा गंगा सिंह का शासन विशेष उनके अंतिम वर्ष 1920 से 1943 तक जहां बाकी देश के लिए जीवन जागृति और प्रगति के वर्ष कहे जा सकते हैं वहा यह वर्ष बीकानेर के लिए दमन उत्पीड़न निर्वासन पुलिस अत्याचारके रहे।[2]

महाराजा गंगा सिंह अपने युग का एक विलक्षण शासक था व आधुनिक बीकानेर का निर्माता था।[3]

---

[1] मिलावट को रोकने का एक्ट 1928 बीकानेर राज्य रियासत

[2] बीकानेर का राजनीतिक विकास मद्दारामवेद्य (मवरामजी वेद्य)

[3] डॉ. राम प्रसाद व्यास आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य

प्रत्येक विशिष्ट कार्य निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होता है निश्चित उद्देश्य ही कार्य को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करते हैं। प्रस्तुत प्रस्तावित शोध प्रबंध बीकानेर राज्य के आधुनिकीकरण में महाराजा गंगा सिंह का योगदान एक अध्ययन।

1 महाराजा गंगा सिंह के काल में शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास का अध्ययन करना।

2 बीकानेर राज्य में रेलवे का विस्तार व औद्योगिक विकास में रेलवे की भूमिका का अध्ययन करना।

3 गंग नहर के निर्माण से बीकानेर राज्य में कृषि और व्यापार में हुई उन्नति का अध्ययन करना।

4 महाराजा गंगा सिंह के द्वारा चिकित्सा व्यवस्था में दिये गए योगदान का अध्ययन करना।

5 बीकानेर राज्य में राजनीतिक जनजागृति और महाराजा गंगा सिंह की शासन नीतियों का अध्ययन करना।

प्रस्तावित शोध की परिकल्पना

1 बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था के बारे में जान सकेंगे।

2 बीकानेर राज्य के गांवों व पंचायतों से संबंधित नियमों और उनकी स्थितियों के बारे में जान सकेंगे।

3 महाराजा गंगा सिंह द्वारा राजस्थानी भाषा के उत्थान और संवर्धन दिये योगदान के बारे में जान सकेंगे।

4 महाराजा गंगा सिंह के द्वारा विदेशों में किए गए सैन्य अभियान व उनकी यात्राओं के बारे में जान सकेंगे।

5 बीकानेर राज्य में डाक, तार ओर टेलीफोन के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जान सकेगे।

प्रस्तावित शोध कार्य मे शोध अंतराल की पहचान

महाराज गंगा सिंह कालीन इतिहास पर बहुत से विद्वानों व इतिहासकारों ने अध्ययन किया है जैसे रामप्रसाद व्यास, खेमराज श्री कृष्ण दास ने, रघुवीर सिंह, मवरामजी वेद आदि ने अध्ययन किया ।

लेकिन समग्र अध्ययन नहीं हुआ है। ऐसे ग्रन्थों का अभाव है जिनमे महाराजा गंगा सिंह द्वारा बीकानेर राज्य के आधुनिकीकरण दिये गए योगदान के इतिहास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है। प्रस्तावित शोध का यही उद्देश्य है कि बीकानेर राज्य के आधुनिकीकरण में महाराजा गंगा सिंह का योगदान एक अध्ययन करना है।

1 बीकानेर राज्य में महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित इमारतों और भवनों के बारे में अध्ययन करना।

2 बीकानेर राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना।

3 महाराजा गंगा सिंह की आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा के बारे में अध्ययन करना।

4 बीकानेर राज्य में सफाई व्यवस्था और नगरपालिका व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना।

शोध विधि :–

प्रस्तातिव शोध प्रबन्ध में प्राथमिक और द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से अध्यन साम्रगी का संकलन किया जाएगा।

प्राथमिक स्त्रोत के रूप में मध्यकालिन अभिलेखों, सिक्कों, दानपत्रों, चारण भाटों के उपलब्ध साहित्य पाण्डुलिपियों, बहियों, सरकारी रिपोर्ट व आदेशों का अध्ययन कर शोध का विस्तार किया जाएगा।

द्वितीयक स्त्रोत के रूप में मध्यकालीन राजपूताना से सम्बधित ऐतिहासिक गन्थों राजस्थानी साहित्य, सस्कृत साहित्य, वृत प्रकाशित ऐतिहासिक गन्थों के साथ–साथ विभिन्न शोध, पत्र–पत्रिकाओं जर्नल्स व राजकीय गजेटियर आदि विशद् अध्ययन द्वारा प्रस्तावित शोध प्रबन्ध को पूर्ण किया जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

गौरीशंकर हीरानंद ओझा : बीकानेर राज्य का इतिहास भाग –1

: बीकानेर राज्य का इतिहास भाग –2

रामप्रसाद व्यास : आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास भाग – 2

बीकानेर का राजनीतिक विकास : मद्दाराम वेद्य (मवरामजी वेद्य)

गांव व पंचायत एक्ट 1928 बीकानेर राज्य रियासत

एड रिपोर्ट बीकानेर स्टेट

मिलावट को रोकने का एक्ट 1928 बीकानेर राज्य रियासत